कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2256 / FP/UK/ROAD/18062/2016 :देहरादूनःदिनांकः 23 मार्च, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोला–रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.643 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रांक 4073/12–1(2) दिनांक 28–02–2022, भारत सरकार का पत्रांक 166 दिनांक 30–04–2019, इस कार्यालय का पत्रांक 3134 दिनांक 17–05–2019, पत्रांक 633 दिनांक 30–09–2019, पत्रांक 2634 दिनांक 12–06–2020, पत्रांक 2334 दिनांक 06–03–2021, पत्रांक 2712 दिनांक 29–04–2021, पत्रांक 2848 दिनांक 16–06–2021 एवं पत्रांक 167 दिनांक 15–07–2021

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 30–04–2019 के अनुपालन में सूचना प्रेषित की गयी है। प्रेपित की गयी सूचना अपूर्ण है। इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी परिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, किन्तु एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्ण सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19–11–2018 में वांछित बिन्दु संख्या–1 व 2 की पूर्ण सूचना अभी भी ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। निकट भविष्य में भारत सरकार द्वारा प्रकरण को सूचनाओं के अभाव में निरस्त किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रस्तावक विभाग की होगी।

अतः प्रकरण के निस्तारण में अधिक विलम्ब न करते हुये सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग से वांछित सूचना यथाशीघ्र ऑनलाईन अपलोड कराते हुये इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना ससमय भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या 2256 /FP/UK/ROAD/18062/2016 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत सम्बन्धित को भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. **प्रतिलिपि** :–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दु संख्या–1 व 2 की सूचना ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा प्रकरण को भारत सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून